

-:महत्वपूर्ण सूचना:-

रिट याचिका संख्या-1148/2021 में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक-29.01.2021 के अनुपालन में जिन महाविद्यालयों को काउंसिलिंग में सम्मिलित किया गया था, उन महाविद्यालयों को आयुष मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आदेश पारित करके वर्ष 2020-21 में प्रवेश अनुमति को अस्वीकार (DENIAL) कर दिया था जिसके क्रम में उक्त आयुर्वेद कालेजों में चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक-04.02.2021 को सूचित किया गया था कि अपने Provisional Counselling Letter को निरस्त मानते हुये काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित न हों। उनमें से निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्रोजिनल आवंटित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18.02.2021 को अभिलेखों का सत्यापन कराने हेतु निर्धारित काउंसिलिंग स्थल पर सूचित किये गये समय पर उपस्थित होकर अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।

1. भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, रूड़की रोड, मुजफ्फरनगर।
2. प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च, बुलन्दशहर।
3. शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, आजमगढ़।
4. महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ।
5. भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, अमरोहा।
6. प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हाथरस।
7. संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अमरोहा।
8. डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अमरोहा।
9. श्री सत्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मुरादाबाद।

Ugela
15-02-21

SM
(प्रो एस0एन0 सिंह)

सदस्य-सचिव

यू0पी0यू0जी0 काउन्सिलिंग बोर्ड